न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी मुकुट सिंह आर0ए0एस

मुकदमा नं0 41/2023

बबीता देवी पत्नि पितराम जाति जाट निवासी आसलपुर, तह0 जोबनेर।

प्रार्थीया

वनाम

पुष्पा देवी पुत्री बंशीधर जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी कारीगरान फुलेरा तह0 फुलेरा।

अप्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 एक्ट

1. श्री हनुमान जाखड वकील प्रार्थी
2. श्री लक्ष्मण सिंह वकील अप्रार्थी

दिनांक :– 27.12.2024

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1081 रकबा 1.1760 है. वाके ग्राम आसलपुर तहसील जोबनेर में स्थित है जो कि प्रार्थीया की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। उक्त भूमि में आने जाने को कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीया को अपनी भूमि की बाजोत काश्त करने के लिए व अपनी भूमि को उपजाउ व विकसित करने के लिए तथा अपनी भूमि पर मवेशियों एवं कृषि संसाधनों को लाने ले जाने लिए सुविधानुसार रास्ता खसरा नंबर 1743/1083 रकबा 0.4847 हे0 वाकै ग्राम आसलपुर तह0 जोबनेर में से पश्चिम से पूर्व दक्षिण सीमा के सहारे मार्क ए से बी दो गटठा चौडा रास्ता जो रास्ता खसरा नंबर 1743/1083 डामर रोड जोबनेर से महला जाने वाली रोड में जाकर मिलेगा उक्त रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीया के पास अपनी खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीया के पास उपलब्ध है। अतः आराजी खसरा नम्बर 1743/1083 रकबा 0.4847 मे से रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीया को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीया मय वकील न्यायालय में उपस्थित आये । वकील अप्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) का जबाब इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीया अप्रार्थीया की आराजी में से कोई रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। खसरा नंबर 1743/1086 की प्रार्थीया खातेदार काश्तकार नहीं है, बल्कि उक्त आराजीयात की अप्रार्थीया एकमात्र खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीया की खसरा नंबर 1743/1086 में प्रार्थीया की आराजीयात खसरा नंबर 1081 में आने जाने का कोई रास्ता कभी नहीं रहा है। बल्कि लिंक रोड आसलपुर से कपिस क्रेशर स्टोन के पास से सडक मार्ग से खसरा नंबर 1080 की सींव के सहारे सहारे खसरा नंबर 1081 मे आते जाते रहे है। आराजी खसरा नंबर 1743/1086 रकबा 0.4847 हेक्टेयर में अप्रार्थीया पेट्रोल पम्प के लिए खरीद की गई है जिसकी पेट्रोल पम्प खुलवाने की कार्यवाही चल रही है तथा उक्त भूमि लघु काश्तकार करीब 2 बीघा भूमि है। जिसमें मात्र 45 मीटर का फ्रंट है जिसमे से रास्ता निकाला गया तो उक्त भूमि किसी भी प्रकार से पेट्रोल पम्प के लिए उपयोगी नहीं रहेगी। अप्रार्थीया द्वारा ने जिस प्रयोजन के लिए उक्त भूमि

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

खरीद की गई है वह बेकार को जायेगी। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

तहसीलदार जोबनेर ने दिनांक 09.02.2024 को रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रार्थीया के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। मौके व राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नं0 1743/1086 रकबा 0.4847 भूमि आसलपुर जोबनेर महला सडक पर स्थित है। जिसका खसरा 1093, 1094, 1095 गै.मु. सडक पी0डब्ल्यू0डी0 के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा खसरा नंबर 1743/1086 की दक्षिणी सीमा पर दो गठ्ठा (5 मीटर) चौडा रास्ता चाहा गया है। जिसे ''ए'' से ''बी'' विन्दु दर्शाया गया है। जिसकी लम्बाई 104 मीटर है। प्रार्थीया के पास अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं है। प्रार्थीया के पास वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ते की आवश्यकता है। उक्त रास्ता की भूमि अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। उक्त रास्ता की भूमि पर कोई स्थगन आदेश नही है। चाहे गये रास्ते की भूमि पर वर्तमान में किसी बैंक या संस्था का रहन दर्ज नहीं है। खसरा नबंर 1743/1086 में से चाहे गये रास्ते की लम्बाई 104 मीटर गुणा 5 मीटर (वादी द्वारा दो गठ्ठा चाहा गया चौडा रास्ता) चौडाई के अनुसार 520 वर्गमीटर रास्ते का क्षेत्रफल 0.0520 हे0 है। उक्त रिपोर्ट संबंधित खातेदारो की उपस्थिति में तैयार की गई है।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यो को एवं वकील अप्रार्थीया ने जबाब में दर्ज तथ्यो को ही पुनः दोहराया है।

हमने वकील उभयपक्षकारान की बहस को सुना, मनन किया एवं पत्रावली पर उपलबध राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। यहाँ पर प्रार्थीया द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर 1081 रकबा 1.1760 है. में आराजी खसरा नम्बर 1743/1086 से पहुंचने हेतु रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार जोबनेर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि है। प्रार्थीया के पास अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं है। प्रार्थीया के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

उक्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मौका अनुसार प्रार्थी को न्यूनतम दूरी का रास्ता आ.0ख0नं0 1743/1086 से ही उपलब्ध है। प्रार्थीया द्वारा मांगा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु आवश्यक है। मौके की स्थिति अनुसार सुगम एवं सुविधा जनक रास्ता यही है। उक्त रास्ता की भूमि अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। उक्त रास्ता की भूमि पर कोई स्थगन आदेश नही है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को आ.0ख0नं0 1743/1086 में से रास्ता दिया जाना सरल एवं सुगम प्रतीत होता है। जिसकी लम्बाई 104 मीटर एवं चौडाई 5 मीटर है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 0.0520 है0 है। अप्रार्थीया द्वारा खसरा संख्या 1743/1086 पर पेट्रोल पम्प स्थापित करने के संबंध में वर्तमान जमाबंदी एवं तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीया की भूमि खसरा संख्या 1743/1086 वर्तमान में खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि का किसी प्रकार भू–रूपान्तरण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए (आर) स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते है कि मौका रिपोर्ट एवं राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प./03(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के हेतु खातेदार की भूमि तक पहुंचने के लिए लघुतम/निकटतम मार्ग जो 30 फीट से अधिक चौडा नहीं हो को कृषि भूमि की दरो का दुगना प्रतिकर लिया जाकर प्रार्थीया की खातेदारी खसरा नम्बर 1081 रकबा 1.1760 वाके ग्राम आसलपुर तह0 जोबनेर तक पहुंचने हेतु विर्णित परिपत्र अनुसार खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

1743 / 1086 की दक्षिणी सीमा पर 104 मीटर लम्बा एवं 5 मीटर चौडा रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार जोबनेर प्रार्थीया 0.0520 है0 भूमि का परिपत्र अनुसार से प्रचलित डीएलसी रेट की दुगनी राशि जमा कराकर अप्रार्थीया को नियमानुसार अदा करेगे एवं राजस्व रिकार्ड में दिनांक 09.02.2024 की रिपोर्ट एवं मौका नक्शा अनुसार ''ए'' से ''बी'' बिन्दु तक कुल लम्बाई 104 मीटर का गैर मुमकिन रास्ते का इन्द्राज करेगें। तहसीलदार जोबनेर की रिपोर्ट दिनांक 09.02.2024 निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/12/2024

मुकुट सिंह (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर